

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/10,200

दिनांक - 31.12.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हीरा राम पुत्र दीपाराम जाति कुमावत निवासी आलाणियों की ढाणी (बान्दरा) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 चुतार सिंह 2 नींव सिंह 3 मूल सिंह 4 मान सिंह 5 मोती सिंह पिसरान दुर्ग सिंह जाति राजपूत निवासी सांसियों की बस्ती, बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 6 अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता बाड़मेर 7 संरपच ग्राम पंचायत बान्दरा 8 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-806/2025 दिनांक-23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांसियों की बस्ती पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 952/836 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 31.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/10201 - 10204

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हीरा राम पुत्र दीपाराम जाति कुमावत निवासी आलाणियों की ढाणी (बान्दरा) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण चुतार सिंह पुत्र दुर्ग सिंह जाति राजपूत निवासी सांसियों की बस्ती, बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर